FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT   P.S. (थाना): C.P.S Jaipur   Year (वर्ष): 2025

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0169   Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 02/07/2025 17:18 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
   1. Day(दिन): दरमियानी दिन   Date From (दिनांक से): 16/06/2025   Date To (दिनांक तक): 30/06/2025
   Time Period (समय अवधि): पहर   Time From (समय से): 14:30 बजे   Time To (समय तक): 17:05 बजे
   (b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 01/07/2025   Time (समय): 18:00 बजे
   (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 002   Date & Time (दिनांक एवं समय): 02/07/2025 17:18:46 बजे
4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित
5. Place of Occurrence (घटनास्थल):
   1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): WEST, 25 किमी   Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABLE
   (b) Address(पता): 02, ANNU VIHAR VISTAR,BAIRVAO KI DHANI, KARVADA,JAIPUR
   (c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)
   Name of P.S (थाना का नाम):   District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): DRONA PAREEK

(b) Father's Name (पिता का नाम): PRAMOD PAREEK

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1985 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	02, ANNU VIHAR VISTAR, BAIRVAO KI DHANI, KALVADA,JAIPUR, JAIPUR CITY (SOUTH), RAJASTHAN,
2	स्थायी पता	02, ANNU VIHAR VISTAR, BAIRVAO KI DHANI, KALVADA,JAIPUR, JAIPUR CITY (SOUTH), RAJASTHAN,

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.): [redacted]

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	SURESH BAIRVA		पिता:RAMSWAROOP BAIRVA	1. 22,SARITA VIHAR RAMPURA ROAD,SANGANER,JAIPUR,JAIPUR CITY (SOUTH),RAJASTHAN,INDIA
2	BALDEV CHAUDHARY		पिता:SURAJMAL CHAUDHARY	1. GRAM BASEDI POST SHIVSINGHPURA,KALWAR,JAIPUR,JAIPUR CITY (NORTH),RAJASTHAN,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		60,000.00

10. Total value of property stolen(In Rs/-) (चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 60,000.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

प्रकरण के हालात इस प्रकार से निवेदन है कि दिनांक 16.06.2025 को समय 2.30 पीएम पर श्री ज्ञान प्रकाश नवल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने मन् पुलिस निरीक्षक गंभीर सिंह, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर चतुर्थ, जयपुर को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर वहां पर पूर्व से बैठे हुए व्यक्ति का परिवादी श्री द्रोण पारीक के रूप में परिचय करवाते हुये उसके द्वारा प्रस्तुत लिखित प्रार्थना पत्र पर मन पुलिस निरीक्षक के नाम पृष्ठांकित करते हुये अग्रीम कार्यवाही करने हेतु सुपुर्द किया, इस पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा प्रार्थना पत्र व परिवादी को हमराह लेकर अपने कार्यालय कक्ष में आया और परिवादी श्री द्रोण पारीक को अपना परिचय देकर नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री द्रोण पारीक पुत्र श्री प्रमोद पारीक उम्र 40 साल निवासी प्लॉट नं0 02 अन्नु विहार विस्तार, बैरवो की ढाणी कलवाड़ा जयपुर मोबाईल नम्बर [redacted] होना बताया। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री द्रोण पारीक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया जो इस प्रकार है कि "सेवामें श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर विषय-रिश्वत मांगने पर कार्यवाही कराने बाबत् महोदय निवेदन है कि मेरे धर्म भाई राजपाल शर्मा के मकान नम्बर -1 अन्नु विहार, बैरवो की ढाणी करवाडा जयपुर में बिजली कनेक्शन हेतु सुरेश बैरवा लाईन मैन से सम्पर्क किया तो उन्होने बिजली कनेक्शन करने की एवज में 70,000/- रूपये रिश्वत की राशि मांगी और कहा कि मैं आपको 70,000/- रूपयो में बिजली कनेक्शन दे दूंगा और इसकी कोई रसीद वगैरा नही दूंगा उसने मेरे से फाईल करीब 10 दिन पहले फाईल ले ली और इससे पूर्व सुरेश जी ने मेरे से 2000 रूपये Paytm मनीष पंवार नम्बर पर व 1000 रूपये नगद बिजली कनेक्शन के नाम पर ले चुका है और मुझे फोन कर 70,000/- रूपये मांग रहा है। मेरी सुरेश जी से कोई लड़ाई झगड़ा व रूपयो का लेन-देन नही है। मैं सुरेश जी को रिश्वत राशि नही देना चाहता हूं मैं इनको रिश्वत राशि लेते हुए पकड़वाना चाहता हूं कार्यवाही करने की कृपा करे। एसडी द्रोण प्रार्थी द्रोण पारीक। तत्पश्चात परिवादी ने दरियाफ्त पर मन पुलिस निरीक्षक को बताया कि मेरे द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा हस्तलिखित है व सुरेश जी लाईनमेन से पूर्व में कोई लेन-देन तथा रंजिश नही है। सुरेशजी लाईनमेन से उक्त प्लाट पर बिजली कनेक्शन करवाने के लिए सम्पर्क किया तो उन्होने मेरे से 1000/- रूपये नगद व 2000/- रूपये श्री मनीष पंवार के पेटीएम पर दिनांक 01.06.2025 को बिजली कनेक्शन के नाम पर ले लिए थे, जब उन्होने मेरे से फाईल भी नही ली थी। श्री राजपाल शर्मा मेरे धर्म भाई है और उनके उक्त प्लॉट की सार संभाल का कार्य मैं ही करता हूं। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री द्रोण पारीक से मकान नम्बर -1 अन्नु विहार, बैरवो की ढाणी करवाडा जयपुर का मालिकाना हक श्री राजपाल शर्मा का होने व एवं उक्त प्लाट पर बिजली कनेक्शन हेतु सुरेश जी को दी गई फाईल की कार्यवाही में भूमिका के सम्बंध में पूछा तो परिवादी श्री द्रोण पारीक ने बताया कि उक्त प्लाट पर बिजली कनेक्शन करवाये जाने की कार्यवाही मेरे द्वारा करवाई जा रही है, जिसके सम्बंध में समस्त प्रकार की कार्यवाही करने के लिए श्री राजपाल शर्मा द्वारा मुझे अधिकृत किया है इस सम्बंध परिवादी द्रोण पारीक को श्री राजपाल शर्मा का सहमति प्रार्थना पत्र पेश करने की मुनासिब हिदायत दी गई। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व उसके साथ 2000/- रूपये श्री मनीष पंवार के पेटीएम पर 01.06.2025 का स्क्रीन शॉट के अवलोकन एवं मजीद दरियाफ्त से मामला प्रथम दृष्टया रिश्वत मांग का पाया जाता है। अतः रिश्वत राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है। सत्यापन से जैसी सूरत होगी वैसी कार्यवाही की जावेगी। तत्पश्चात परिवादी श्री द्रोण पारीक को रिश्वत मांग सत्यापन की प्रक्रिया के बारे में बताया जाकर श्री प्रदीप कुमार कानि0 नं0 245 को कार्यालय कक्ष में बुलाकर परिवादी श्री द्रोण पारीक व कानि0 का आपस में परिचय करवाया जाकर श्री ब्रह्मप्रकाश हैड कानि0 नं0 99 से कार्यालय की आलमारी से विभागीय डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर व नया मैमोरी कार्ड SanDisk micro 32GB नया मैमोरी कार्ड मंगवाकर उनका खाली होना सुनिश्चित कर परिवादी श्री द्रोण पारीक को विभागीय डिजिटल

वाईस रिकार्डर को चालू व बंद करने की प्रक्रिया को समझाया गया। तत्पश्चात् विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर में SanDisk micro 32GB नया मैमोरी कार्ड लगाया गया। परिवादी श्री द्रोण पारीक ने बताया कि मेरे पास सुरेश जी कॉल आया और उन्होने कहा मुझसे रिश्वती राशि के सम्बंध में वार्ता कर मिलने के बारे में पूछा था, इसलिए मैं उनको कॉल कर मिलने के सम्बंध में वार्ता कर सकता हूं। जिस पर परिवादी के मोबाईल नम्बर [redacted] से संदिग्ध के मोबाईल नम्बर [redacted] पर ऑपन स्पीकर कॉल करवाया गया। उक्त वार्ता को विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड किया गया। उक्त वार्ता में संदिग्ध द्वारा कॉल करने पर नही आने के बारे में कहने पर परिवादी द्वारा बिजी होने व बाहर बताने पर संदिग्ध द्वारा कल सुबह 10 बजे पास आकर मिलने की कहने पर परिवादी द्वारा कनेक्शन लगने के बारे में पूछा जाता है तो संदिग्ध द्वारा कल पैमेंट वगैराह की व्यवस्था करने की कहा जाता है, जिस पर परिवादी द्वारा 70 हजार रूपये ज्यादा होने पर कल बैठकर बात करने और उन्नीस बीस करने के बारे में कहने इत्यादि तथ्य प्रकट होते है। परिवादी ने बताया कि मैं सुबह मकान नम्बर -2 अन्नु विहार, बैरवो की ढाणी करवाडा जयपुर पर डॉग्स की देखभाल का कार्य करता हूं और सुरेश जी मेरे से मिलने के लिए वही आते है और कल भी सुरेश जी मेरे से वही पर मिलने आयेगे। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री प्रदीप कुमार कानि0 नं0 245 को विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर हमराह लेकर परिवादी द्वारा बताये गये निर्धारित स्थान पर पहुंचकर रिश्वत मांग सत्यापन कराने की मुनासिब हिदायत दी गई। दिनांक 17.06.2025 को श्री प्रदीप कुमार कानि0 नं0 245 ने बंद किया हुआ विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर सुपुर्द कर बताया कि निर्देशानुसार ब्यूरो कार्यालय की आलमारी से विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर प्राप्त कर परिवादी द्वारा बताये निर्धारित स्थान मकान नम्बर -2 अन्नु विहार, बैरवो की ढाणी करवाडा जयपुर पहुंचा, जहां पर परिवादी ने अपने मोबाइल से संदिग्ध से वार्ता की जिसमें परिवादी द्वारा प्लॉट पर आने के बारे में बताने पर संदिग्ध द्वारा 10 मिनट में आने के बारे में कहा गया। इस पर गोपनीयता की दृष्टि परिवादी के साथ अन्नु विहार कोलोनी में ही मकान के पास में मुकीम हुआ। कुछ समय बाद संदिग्ध द्वारा मकान पर आने पर मुझ कानि0 द्वारा परिवादी को मुनासिब हिदायत कर समय 11.08 एएम पर विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर चालु कर परिवादी को सुपुर्द कर संदिग्ध के पास रिश्वत मांग सत्यापन हेतु रवाना कर मैं भी अपनी पहचान छुपाते हुए मुकीम हो गया। परिवादी मकान के अन्दर प्रवेश कर गया। कुछ देर बाद परिवादी के मकान से संदिग्ध के रवाना होने के बाद मैं परिवादी के पास पहुंचा और विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर प्राप्त कर बंद कर सुरक्षित अपने पास रखा। परिवादी ने बताया कि सुरेश जी ने मुझे 60,000/- रूपये रिश्वती राशि लेने की सहमती दी है और 19.06.2025 को 11 बजे के आस-पास रिश्वती राशि देने के लिए कहा है। उक्त वार्ता विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड है। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर को चलाकर सरसरी तौर पर सुना गया तो संदिग्ध श्री सुरेश बैरवा लाईनमैंन द्वारा परिवादी श्री द्रोण पारीक से बिजली कनेक्शन करने की एवज में 70 हजार रूपये रिश्वती राशि मांगकर परिवादी द्वारा रिश्वती राशि कम करने की कहने पर सुरेश बैरवा द्वारा 60 हजार रूपये रिश्वती राशि मांगने के तथ्यो की पुष्टि हुई। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर सुरक्षित कार्यालय की आलमारी में तालाबंद किया गया। परिवादी के ब्यूरो कार्यालय में आने पर ट्रेप कार्यवाही का आयोजन कर अग्रीम कार्यवाही की जावेगी। दिनांक 19.6.2025 को परिवादी ने कार्यालय में उपस्थित होकर बताया कि मेरे मामाजी के लड़के का देहान्त 17.06.2025 को होने के कारण मैं कार्यालय में नही आ सका था। दिनांक 17.06.2025 को वार्ताअनुसार आज मुझे सुरेश जी से मिलकर रिश्वती राशि के 60 हजार रूपये देने थे। परन्तु आज मेरे पास रिश्वती राशि के 60 हजार रूपये की व्यवस्था नही हुई है और सुरेश जी का फोन भी नही आया है व रिश्वती राशि की व्यवस्था होने पर ही मैं सुरेश जी से बिजली कनेक्शन हेतु सम्पर्क करूंगा। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा संदिग्ध को दी जाने वाली रिश्वती राशि की व्यवस्था करने व श्री राजपाल शर्मा का सहमति प्रार्थना पत्र पेश करने के सम्बंध में मुनासिब हिदायत दी गई। दिनांक 19.06.2024 के पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा ट्रेप कार्यवाही हेतु परिवादी से निरन्तर सम्पर्क किया जाता रहा, परिवादी ने अपने आवश्यक कार्य में व्यस्त होने व रिश्वती राशि की व्यवस्था करने के सम्बंध में अवगत कराया। दिनांक 28.06.2025 को परिवादी श्री द्रोण पारीक ने बताया कि सुरेश जी ने मुझे मैंने मंडे को मिलने के लिए कहा था और बिजली कनेक्शन लिए बोलने पर उन्होने कहा कि पहले पैमेंट करना पड़ता है और उनको मैंने मंडे को पैमेंट करने के लिए कहा है। परिवादी ने बताया कि रिश्वती राशि के 60 हजार रूपये लेकर सोमवार को ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित हो जाउंगा। अतः दिनांक 30.06.2025 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन करने का निर्णय लिया गया। समस्त कार्यालय स्टाफ को आवश्यक हिदायत दी जाकर श्री ब्रहम् प्रकाश हैड कानि0 नं0 99 को पूर्व से पाबंदशुदा स्वतंत्र गवाहन को दिनांक 30.06.2025 को ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित कराने के लिए मुनासिब हिदायत दी गई । दिनांक 30.06.2025 को पूर्व हिदायत अनुसार कार्यालय स्टाफ व पूर्व पाबन्द शुदा दो गवाह कार्यालय में उपस्थित हुये जिनको मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वयं का परिचय देकर उनका नाम-पता पूछा तो एक ने अपना नाम श्री प्रवीण सिंह शेखावत पुत्र श्री मूलसिंह उम्र 30 साल निवासी ग्राम नेकावाला, पोस्ट बोबाडी तहसील जमवारामगढ, पुलिस थाना रायसर जिला जयपुर हाल कनिष्ठ सहायक, निदेशालय पेंशन एवं पेशनर्स कल्याण विभाग, विधुत मार्ग, ज्योति नगर जयपुर तथा दुसरे ने अपना नाम श्री रमेशचन्द गुर्जर पुत्र श्री सीताराम गुर्जर उम्र 44 साल निवासी बी-57, माउण्ट रोड़, पंचमुखी हनुमानजी के पास, शास्त्री नगर पुलिस थाना शास्त्री नगर जिला जयपुर हाल वरिष्ठ सहायक निदेशालय पेंशन एवं पेशनर्स

कल्याण विभाग, विधुत मार्ग, ज्योति नगर जयपुर बताया। उक्त दोनो गवाहान को एसीबी द्वारा की जाने वाली गोपनीय कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाह के रूप में उपस्थित होने हेतु कहा गया तो दोनो ने अपनी अपनी मौखिक रूप से सहमती दी गई। कुछ समय पश्चात परिवादी श्री द्रोण पारीक ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये, जिन्होने एक 50 रूपये के ई-स्टाम्प नोटेरीशुदा पर श्री राजपाल शर्मा पुत्र स्व. श्री जीवनराम निवासी बी-190, सुमेर नगर विस्तार, गोलियावास, मानसरोवर जयपुर राजस्थान के स्वामित्व के प्लाट नं0 1ए, अन्नु विहार विस्तार, बैरवो की ढाणी, कलवाडा, महिन्द्रा सेज पर बिजली की समस्त कार्यवाही करने तथा इस सम्बंध में सक्षम अधिकारियो से सम्पर्क करने तथा कार्य किसी भी प्रकार की समस्या आने पर यथा आवश्यकता अनुसार सक्षम स्तर पर शिकायत कर समस्या का निदान करवाने तथा सम्बंधित कार्यवाही करने के लिए द्रोण पारीक को अधिकृत करने का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे बाद अवलोकन शामिल फाईल किया गया। तत्पश्चात् परिवादी श्री द्रोण पारीक ने बताया कि कल मेरे पास सुरेशजी आये थे, जिन्होने मेरे से रिश्वती राशि के 60 हजार रूपये देने के बाद ही पोल वगैराह लगाने का कार्य करने के लिए कहा था, मैंने उनको कहा कि मेरे पास आज पैमेंट की व्यवस्था नही है और मेरे द्वारा आज उनको रिश्वती राशि देने के लिए कहा था और आज मैं 60 हजार रूपये रिश्वती राशि के लेकर आया हूं। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी द्रोण पारीक व उपस्थित दोनो स्वतंत्र गवाहन श्री प्रवीण सिंह शेखावत व श्री रमेशचन्द गुर्जर का आपस में परिचय करवाया गया तथा एसीबी द्वारा की जा रही गोपनीय कार्यवाही के बारे में बताकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को पढवाया गया। दोनो स्वतंत्र गवाहान ने परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अपने-अपने हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात दोनो स्वतंत्र गवाहन के समक्ष मन पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री द्रोण पारीक को आरोपी श्री सुरेश बैरवा को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने के लिए कहा तो परिवादी ने अपने पास से 500-500 रूपये के 120 नोट भारतीय मुद्रा के कुल राशि 60000/-रूपये निकालकर मन पुलिस निरीक्षक को पेश किये, उक्त नोटों का विवरण फर्द पेशकशी नोट व दृष्टान्त फिनोफ्थलीन पाउडर व सुपुर्दगी वाईस रिकॉर्डर में अंकित किया गया। उपरोक्त सभी 500-500 रूपये के प्रचलित भारतीय मुद्रा के नोटों कुल 120 नोट राशि 60,000/-रूपये पर फिनोफ्थीलन पाउडर लगवाने हेतु दोनों स्वतन्त्र गवाहन व परिवादी द्रोण पारीक के समक्ष कार्यालय के श्री प्रेम सिंह वरिष्ठ सहायक से कार्यालय हाजा की आलमारी में से फिनोफ्थीलन पाउडर का डिब्बा निकलवाकर एक अखबार पर फिनोफ्थलीन पाउडर डलवाकर नियमानुसार उक्त सभी नोटों पर लगवाया गया तथा परिवादी श्री द्रोण पारीक की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाहन श्री रमेश चन्द गुर्जर से लिवाई जाकर उसके पास मोबाईल के अलावा अन्य कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। तत्पश्चात फिनोफ्थलीन पाउडर लगे उक्त नोट सीधे ही श्री प्रेम सिंह वरिष्ठ सहायक से परिवादी श्री द्रोण पारीक की पहनी हुई काले रंग की जिंस पेन्ट में सामने की दांयी तरफ की जैब में रखवाये जाकर हिदायत दी गई कि वह इन नोटों को अनावश्यक रूप से नहीं छुये व संदिग्ध आरोपी द्वारा मांगने पर ही उक्त नोट जेब से निकालकर उसे रिश्वत के रूप में देवें तथा आरोपी द्वारा रिश्वत लेने के पश्चात् अपने सिर पर हाथ फेरकर या अपने मोबाईल फोन से मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल नम्बर [redacted] पर मिस कॉल कर मुझे व ट्रेप पार्टी को ईशारा करें एवं रिश्वत राशि को कहां रखता है यह भी ध्यान रखें एवं साथ ही स्वतन्त्र गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव परिवादी के आस-पास रहकर रिश्वत के लेन-देन को देखने व दोनों के मध्य होने वाली वार्ता को सुनने का प्रयास करें। इसके बाद स्वतंत्र गवाहान व परिवादी श्री द्रोण पारीक को फिनोल्पथलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट की आपसी रासायनिक प्रक्रिया के बारे में विस्तार से दृष्टान्त देकर समझाने के लिए नये प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट पाउडर का घोल तैयार करवाकर उपस्थितगणों को दिखाया गया घोल का रंग रंगहीन रहा, उसके बाद श्री प्रेम सिंह वरिष्ठ सहायक जिसने नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाया था के हाथों की अंगुलियों को उक्त सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया, जिसके बारे में उपस्थित गवाहान व परिवादी को समझाया गया कि जो भी इन पाउडर लगे नोटों को हाथ लगायेगा या छुयेंगा तो उसके हाथ इस प्रक्रिया के अनुसार धुलवाने से पानी का रंग गुलाबी हो जावेगा। तत्पश्चात श्री प्रेम सिंह वरिष्ठ सहायक से गुलाबी घोल को बाहर फिकवाकर प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास तथा उस अखबार को जिस पर रखकर नोटों पर फिनोलपथलीन पाउडर लगवाया था को जलवाकर नष्ट करवाया गया। श्री प्रेम सिंह वरिष्ठ सहायक से फिनोल्पथलीन पाउडर के डिब्बे को वापस कार्यालय की अलमारी में रखवाकर श्री प्रेम सिंह वरिष्ठ सहायक के हाथों को साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाया गया। ट्रेप पार्टी के सदस्यों व गवाहान की एक दूसरे से तलाशी लिवाये जाने पर किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु या दस्तावेज आदि नहीं छोडे गये। ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाली कांच की शीशीयां को साबुन व साफ पानी से धुलवाकर साफ करवाये जाकर सुखने के उपरान्त एवं नये डिस्पोजल प्लास्टिक के ग्लास एवं चम्मच ट्रेप बॉक्श में रखवाये गये। ट्रेप पार्टी के समस्त सदस्यों के हाथ साबुन व पानी से अच्छी तरह धुलवाकर साफ करवाये गये। रिश्वत राशि लेन-देन के समय संदिग्ध आरोपी से होने वाली बातचीत को रिकार्ड करने के लिए पूर्व में रिश्वत मांग सत्यापन मे काम लिए गये विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड कानि0 श्री प्रदीप कुमार को सुपुर्द कर मुनासिब हिदायत दी गई। समय 3.00 पीएम पर श्री ज्ञान प्रकाश नवल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में मन पुलिस निरीक्षक श्री गंभीर सिंह कसाना मय श्री नाथूलाल पुलिस निरीक्षक, श्री ब्रहमप्रकाश हैड कानि0 नं0 99, श्रीमती पिंकी कंवर म0 कानि0 नं0 11, श्री प्रवीण कानि0 222, श्री कपिल कुमार कानि. 377, श्री सरदार सिंह कानि. 187, श्री ओमप्रकाश

चैधरी कानि. न. 438 एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री प्रवीण सिंह शेखावत व श्री रमेश चन्द गुर्जर को साथ लेकर जरिये सरकारी वाहनों के मय चालक मय लेपटॉप, प्रिन्टर, विडियो कैमरा, ट्रेप बॉक्स व अन्य आवश्यक सामग्री के रवाना होने से पूर्व श्री प्रदीप कुमार कानि0 नं0 245, श्री सुभाष चन्द्र कानि. 592 को परिवादी श्री द्रोण पारीक के साथ उसके निजी वाहन से आवश्यक हिदायत देकर रवाना कर उनके पीछे-पीछे वास्ते करने गोपनीय कार्यवाही हेतु एसीबी कार्यालय से रवाना हुये। कुछ समय पश्चात मन् टीएलओ मय समस्त ट्रेप टीम के आशियाना उमंग, महिन्द्रा सेज, झाई पहुंचे, जहां पर परिवादी श्री द्रोण पारीक व श्री प्रदीप कुमार कानि0, श्री सुभाष चन्द कानि0 मय निजी वाहन के मिले, मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा सरकारी वाहनो व प्राईवेट वाहन को रोड़ के किनारे लगाया गया तथा परिवादी श्री द्रोण पारीक ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि मैं सुरेश जी से रिश्वत राशि लेन-देन के सम्बंध में मिलने के बारे में जरिये फोन वार्ता करूंगा। जिस पर परिवादी द्वारा आरोपी श्री सुरेश बैरवा के मोबाईल नम्बर [redacted] पर ऑपन स्पीकर कॉल करवाया जिसमें परिवादी द्वारा अपने फ्लेट पर आने की बताने पर संदिग्ध श्री सुरेश बैरवा द्वारा प्लॉट पर आने के बाद कॉल करने और प्लॉट पर ही आने की कहा गया जिस पर मन परिवादी श्री द्रोण पारीक के साथ श्री प्रदीप कुमार कानि0 व श्री सुभाष चन्द कानि0 को रवाना कर उनके निजी वाहन के पीछे-पीछे अपनी पहचान छुपाते हुये मन् टीएओ मय समस्त ट्रेप के रवाना हुए। कुछ समय पश्चात मन पुलिस निरीक्षक मय समस्त ट्रेप टीम व स्वतंत्र गवाहन के प्लॉट नं0 02 अन्नु विहार विस्तार, बैरवो की ढाणी कलवाड़ा जयपुर से कुछ दुरी पूर्व गोपनीयता की दृष्टि से सुरक्षित स्थान पर पहुंचे, जहां पर परिवादी श्री द्रोण पारीक व श्री प्रदीप कुमार कानि0, श्री सुभाष चन्द कानि0 मय निजी वाहन के मौजुद है। तत्पश्चात् समय 04.27 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री प्रदीप कुमार कानि0 नं0 245 से विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर को चालु करवाकर परिवादी के मोबाईल नम्बर [redacted] से आरोपी श्री सुरेश बैरवा के मोबाईल नम्बर [redacted] पर ऑपन स्पीकर कॉल करवाया गया तो परिवादी द्वारा श्री सुरेश बैरवा को प्लॉट पर आने के बारे में बताया जाता है, जिस पर सुरेश बैरवा द्वारा 10 मिनट में प्लॉट पर आने के बारे में कहा गया। जिस पर परिवादी श्री द्रोण पारीक के साथ उसके प्लॉट में श्री प्रदीप कुमार कानि0 व श्री सुभाष चन्द कानि0 को गोपनीय रूप से मुकीम होने व श्री प्रदीप कुमार कानि0 को परिवादी के संदिग्ध श्री सुरेश बैरवा से रिश्वती राशि आदान-प्रदान करने से पूर्व विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर चालु कर सुपुर्द करने सम्बंधित हिदायत मुनासिब कर रवाना किया गया। मन् पुलिस निरीक्षक मय समस्त ट्रेप, स्वतंत्र गवाहन टीम प्लॉट के आस-पास अपनी पहचान छुपाते हुये गोपनीय रूप से ट्रेप जाल बिछाकर परिवादी श्री द्रोण पारीक के निर्धारित ईशारे के इन्तार में मुकिम रहे। श्री प्रदीप कुमार कानि0 नं0 ने जरिये फोन अवगत कराया कि समय 04.40 पीएम पर परिवादी को विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर चालु कर आरोपी श्री सुरेश बैरवा से रिश्वती राशि आदान प्रदान करने के लिए सुपुर्द किया गया तथा मैं व श्री सुभाष कानि0 के साथ गोपनीय रूप से मकान के पीछे बाथरूम में परिवादी के निर्धारित ईशारे में मुकीम है। तत्पश्चात् समय 4.58 पीएम पर परिवादी श्री द्रोण पारीक ने निर्धारित ईशारा किया, जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय समस्त ट्रेप टीम व स्वतंत्र गवाहन को साथ लेते हुए उक्त प्लॉट में प्रवेश किया, जहां पर परिवादी से विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर प्राप्त कर बंद कर सुरक्षित अपने पास रखा तथा परिवादी ने सोफे पर बैठे हुए व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि इन्होने मेरे से अभी-अभी बिजली कनेक्शन करने की एवज में 60 हजार रूपये रिश्वती राशि प्राप्त की और अपने दोनो हाथो से रिश्वती राशि गिन रहे थे, उक्त रिश्वती राशि इनके हाथ में मौजुद है, जिस पर आरोपी श्री सुरेश बैरवा को मन् पुलिस निरीक्षक ने स्वयं का व स्वतंत्र गवाहन मय समस्त ट्रेप टीम का परिचय देकर आरोपी श्री सुरेश बैरवा से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम सुरेश बैरवा पुत्र श्री रामस्वरूप बैरवा उम्र 34 साल निवासी प्लॉट नं0 22, सरिता विहार कोलोनी, रामपुरा रोड़, पुलिस थाना मुहाना मंडी, सांगानेर, जयपुर हाल तकनीकी सहायक, मीराणी फीडर, कार्यालय कनिष्ठ अभियंता, जयपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड, बड के बालाजी जयपुर होना बताया। आरोपी श्री सुरेश बैरवा के दांहिने हाथ में मौजुद रिश्वती राशि स्वतंत्र गवाह श्री प्रवीण सिंह शेखावत से लिवाई जाकर गिनवाई गई तो उक्त रिश्वती राशि 500-500 रूपये के 120 नोट कुल राशि 60 हजार रूपये होना बताया व दोनो स्वतंत्र गवाहन से उक्त नोटो के नम्बरो का मिलान पूर्व में बनाई गई फर्द पेशकशी से करवाया गया तो दोनो स्वतंत्र गवाहन ने हुबहु होना बताया गया। उक्त रिश्वती राशि के 60 हजार रूपये स्वतंत्र गवाह श्री प्रवीण सिंह शेखावत के पास रखवाये गये। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपी श्री सुरेश बैरवा द्वारा उपयोग में लिये जा रहे मोबाईल फोन विवो कंपनी जिसमें जियो कंपनी की सिम नम्बर [redacted] को लिया गया , तत्पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपी श्री सुरेश बैरवा से परिवादी श्री द्रोण पारीक से ली गई रिश्वती राशि के बारे में पूछा तो आरोपी श्री सुरेश बैरवा ने बताया कि उक्त 60 हजार रूपये मेरे द्वारा ट्रासफार्मर व बिजली कनेक्शन देने के लिए द्रोण जी से प्राप्त किये थे, परन्तु उक्त राशि में जेईएन श्री बलदेव चैधरी का भी हिस्सा है और मैं राशि प्राप्त करने के बाद उनसे बात करके ही बिजली कनेक्शन के कार्य करवाता हूं। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर में मौजुद लेन-देन वार्ता को सरसरी तौर पर सुना गया तो परिवादी के कथनो की पुष्टि होती है। तत्पश्चात आरोपी श्री सुरेश बैरवा के दोनो हाथों के धोवन की कार्यवाही नियमानुसार प्रारम्भ की गई, जिसमें आरोपी श्री सुरेश बैरवा के दोनो हाथों के धोवन लेने के लिए ट्रेप बॉक्श से दो नये पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास निकलवाकर, बोतल में साफ पानी मंगवाकर ट्रेप बॉक्स में रखे सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डिब्बा निकलवाकर उक्त गिलासो में एक-एक प्लास्टिक के चम्मच से

सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया। तैयारशुदा घोल को स्वतंत्र गवाहान व समस्त हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने घोल के रंग को रंगहीन होना स्वीकार किया। तत्पश्चात् प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास के तैयारशुदा घोल में आरोपी श्री सुरेश बैरवा के दांहिने हाथ की अंगुलियां व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया, जिसको हाजरीन व स्वतंत्र गवाहान को दिखाया गया तो सभी ने घोल के रंग को गुलाबी होना बताया, जिसे दो साफ कांच की शीशीयों में आधा-आधा डालकर शील्ड मोहर कर मार्क R-1 व R-2 अंकित कर स्वतंत्र गवाहन, आरोपी श्री सुरेश बैरवा एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ए0सी0बी0 लिया गया। तत्पश्चात् इसी प्रक्रियानुसार दूसरे तैयारशुदा सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में आरोपी श्री सुरेश बैरवा के बांये हाथ की अंगूलियां व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया, जिसे समस्त हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने धोवन के रंग को गुलाबी होना बताया, जिसे दो कांच की साफ शिशियों में आधा-आधा डालकर शील्ड मोहर कर मार्क L-1 व L-2 अंकित कर स्वतंत्र गवाहन, आरोपी श्री सुरेश बैरवा एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री सुरेश बैरवा द्वारा परिवादी द्रोण पारीक से प्राप्त रिश्वती राशि के 500-500 रूपये के 120 नोट कुल रिश्वत राशि 60,000/रूपये जो स्वतन्त्र गवाह श्री प्रवीण सिंह शेखावत के पास सुरक्षित रखवाये गये थे, को एक साईड से सफेद कागज के साथ सिलकर सील्ड मोहर कर मार्क "M" अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सूबत कब्जा ए0सी0बी0 लिए गए। तत्पश्चात् आरोपी श्री सुरेश बैरवा से पूछताछ में रिश्वती राशि में जेईएन श्री बलदेव चैधरी का भी हिस्सा होने सम्बंधित तथ्य प्रकट होने पर आरोपी श्री सुरेश बैरवा की संदिग्ध जेईएन श्री बलदेव चैधरी से वार्ता करवाने का निर्णय लिया जाकर विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर चालु कर श्री सुरेश बैरवा से उसके मोबाईल नम्बर [redacted] से श्री बलदेव चैधरी जेईएन के मोबाईल नम्बर [redacted] पर ऑपन स्पीकर कर वार्ता करवाई गई तो उक्त वार्ता में श्री बलदेव चैधरी से आरोपी श्री सुरेश बैरवा द्वारा सोसायटी की कोलोनी में एक डीपी लगवाने की बताकर सिंगल फेज का कनेक्शन होने के बारे में बताने पर संदिग्ध जेईएन द्वारा अपणा सिस्टम होने के बारे में कहा गया जिस पर सुरेश जी द्वारा "कितने बताउ" पूछने पर बलदेव चैधरी द्वारा लाईन व डीपी सम्बंध में पूछकर थोड़ी देर में वापस कॉल करने के लिए कहा गया। इस समय तक संदिग्ध जेईएन का कॉल नही आने पर समय 05.27 पीएम पर सुरेश बैरवा के मोबाईल से जेईएन से व्हाट्सअप कॉल तथा समय 5.28 पीएम, 5.32 पीएम व 5.36 पीएम पर नॉर्मल कॉल करवाया गया जो संदिग्ध जेईएन बलदेव चैधरी द्वारा रिसीव नही किये गये। तत्पश्चात् समय 05.36 पीएम पर पुनः व्हाट्सअप कॉल ऑपन स्पीकर कर करवाया गया तो संदिग्ध जेईएन श्री बलदेव चैधरी को आरोपी श्री सुरेश बैरवा ने बिजली कनेक्शन की एवज में 60 हजार रूपये रिश्वती राशि देने के बारे में बताया गया तो संदिग्ध आरोपी श्री बलदेव चैधरी द्वारा 5 केवी ट्रासफार्मर लगाने, प्लॉट में कनेक्शन लेने, डोमेस्टीक कनेक्शन लेने संबंधि वार्ताएं की गई व संदिग्ध जेईएन द्वारा सुरेश बैरवा से कहा जाता है कि "बतादे क्या करना है" तो सुरेश बैरवा द्वारा रिश्वती राशि की मात्रा पूछी जाती है, तो बलदेव चैधरी द्वारा स्वयं के लिए 50 हजार रूपये रिश्वती राशि की मांग की जाती है जिस पर सुरेश बैरवा द्वारा कम करने की कहने पर बलदेव चैधरी द्वारा इनभें ही बढा लेने के बारे में कहा जाता है। इस प्रकार उक्त वार्ता में संदिग्ध जेईएन श्री बलदेव चैधरी द्वारा आरोपी श्री सुरेश बैरवा से उसके द्वारा प्राप्त की गई रिश्वती राशि में से अपना हिस्सा 50,000 रूपये मांग करना स्पष्ट रूप से प्रकट हुआ है। आरोपी के मोबाईल फोन को कब्जा एसीबी लिया गया। मन् टीएलओ द्वारा नियमानुसार परिवादी श्री द्रोण पारीक व दोनो स्वतन्त्र गवाहान की मौजुदगी में परिवादी की निशादेही से घटना स्थल का पृथक से नक्शा-मौका मुर्तिब किया गया। इस प्रकार आरोपी सुरेश बैरवा व जेईएन बलदेव चैधरी के मध्य हुई उक्त वार्ताओ से संदिग्ध जेईएन श्री बलदेव चैधरी की रिश्वती राशि लेन-देन में संलिप्तता के पुख्ता व स्पष्ट तथ्य प्रकट होने पर बलदेव चैधरी को डिटेन कर अनुसंधान किया जाना आवश्यक है अतः समय 5.50 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय समस्त ट्रेप टीम व स्वतंत्र गवाहन मय डिटेनशुदा आरोपी श्री सुरेश बैरवा को हमराह लेकर जरिये सरकारी वाहनो के कार्यालय कनिष्ठ अभियंता, जयपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड, बड़ के बालाजी जयपुर के लिए रवाना हुये साथ ही हमराह जाप्ता के श्री सरदार सिंह कानि. 187 को परिवादी के प्लॉट के बाहर खड़ी आरोपी श्री सुरेश बैरवा की मोटरसाईकिल नं. आरजे14 केएच 4745 को पुलिस थाना भांकरोटा में लेकर चलने के लिए निर्देश दिये गये। कुछ समय पश्चात मन् टीएलओ मय हमराहीयान व आरोपी के कार्यालय सहायक अभियंता विधुत वितरण निगम लिमिटेड, बड़ के बालाजी बगरू पहुंचे, जहां पर मन् पुलिस निरीक्षक मय समस्त ट्रेप टीम व स्वतंत्र गवाहन के संदिग्ध के कार्यालय कक्ष में कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति अपना व एसीबी टीम का परिचय देकर नाम पता पूछा तो उन्होने अपना नाम बलदेव चैधरी पुत्र श्री सुरजमल चैधरी उम्र 30 साल निवासी ग्राम बसेड़ी पोस्ट शिवसिंहपुरा तहसील कालवाड़ पुलिस थाना बगरू जिला जयपुर हाल कनिष्ठ अभियंता, कार्यालय सहायक अभियंता, कार्यालय सहायक अभियंता विधुत वितरण निगम लिमिटेड, बेगस, बगरू जयपुर अतिरिक्त चार्ज कार्यालय सहायक अभियंता विधुत वितरण निगम लिमिटेड, बड़ के बालाजी बगरू जयपुर होना बताया। तत्पश्चात् संदिग्ध आरोपी श्री बलदेव चैधरी के मोबाईल फोन आईफोन-16 प्रो, व दूसरा मोबाईल फोन विवो कंपनी को एसीबी कब्जा लिया गया। तत्पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा संदिग्ध आरोपी श्री बलदेव चैधरी से आरोपी श्री सुरेश बैरवा के मार्फत परिवादी श्री द्रोण पारीक से ली गई रिश्वती राशि के 60 हजार रूपये में से 50 हजार रूपये मांग करने के बारे में पूछा तो संदिग्ध आरोपी श्री बलदेव चैधरी ने बताया कि मेरे द्वारा सुरेश जी बैरवा से कोई रिश्वती राशि नही मांगी

गई और मेरे द्वारा पूर्व में कोई रिश्वती राशि सुरेश जी बैरवा से प्राप्त नही की गई। सुरेश जी बैरवा से हुई वार्ता में मेरे द्वारा स्वयं के लिए बताये गये 50 हजार रूपये पर्सनल डीपी सेल्फ फाईनेंस के बताये गये थे और मेरे द्वारा सुरेश जी को अधिक रिश्वती राशि लेने के लिए नही कहा गया था। आरोपी श्री बलदेव चैधरी के कब्जे से मिली एक चाबी मारूती स्वीप्ट बीएक्सआई आरजे 45 सीजे 2189 मिली, जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वतन्त्र गवाहान मौजुदगी में कार्यालय परिसर में खडी कार तलाशी ली गई तो आगे के डेस्क बोर्ड में 50 हजार रूपये संदिध राशि मिली जिसके बारे में आरोपी श्री बलदेव चैधरी से पूछा तो संदिग्ध राशि 50 हजार रूपये किसी अन्य काम के है जो आपके इस केस से सम्बन्धित नही है। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा बार-बार पूछने पर आरोपी श्री बलदेव चैधरी ने कोई संतोषप्रद जवाब नही दिया गया और कहा गया कि उक्त राशि मेरे द्वारा आज तीन बजे डिमाण्ड नोटिस में ली गई थी, उक्त राशि किससे ली गई इस सम्बंध में संदिग्ध बलदेव चैधरी द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब नही दिया गया। इस पर उक्त राशि 50 हजार रूपये संदिग्ध दृष्टिगोचर होने पर कब्जा एसीबी लिये गये। उक्त कार में संदिग्ध राशि के अलावा बिजली कनेक्शन हेतु दिये गये प्रार्थनापत्र, नियम कानून पत्रावली, सूचना पत्रावली, सात पत्रावलिया एस्टीमेट, शिकायती प्रार्थनापत्र फोल्डर, दो गेट पासबुक, गाडी सर्विस के बिल, कॉलोनी एस्टीमेट की पत्रावलिया एवं एक टेबलेट बन्द हालात में मिले। उक्त दस्तावेज, टेबलेट मय कार की चाबी कार्यालय के श्री ब्रहमसिंह तकनीकी सहायक-प्रथम, कार्यालय सहा0अभियंता, ज0वि0वि0नि0लि0 को सुपुर्द की गई। परिवादी श्री द्रोण पारीक द्वारा बिजली कनेक्शन हेतु श्री राजपाल शर्मा के नाम से लगाई गई मूल पत्रावली श्री ब्रहम सिंह तकनीकी सहायक द्वारा उपलब्ध करवाई गई। ट्रेप कार्यवाही की गोपनियता की दृष्टी से कार्यालय सहायक अभियंता विधुत वितरण निगम लिमिटेड, बड़ के बालाजी बगरू की उक्त कार्यवाही की लिखापढ़ी पु0 थाना भांकरोटा पहुंच थाना के अनुसंधान कक्ष में की गई जिसकी निरन्तरता के क्रम में आरोपी श्री सुरेश बैरवा से पुनः परिवादी श्री द्रोण पारीक से प्राप्त रिश्वती राशि के बारे में पूछा तो आरोपी श्री सुरेश बैरवा ने बताया कि उक्त रिश्वती राशि परिवादी श्री द्रोण पारीक द्वारा श्री राजपाल शर्मा के स्वामित्व के प्लॉट पर घरेलु बिजली कनेक्शन के लिए फाईल मुझे दी थी। उक्त बिजली कनेक्शन में प्लॉट के सामने पर्सनल डीपी लगाने की एवज में मेरे द्वारा 60 हजार रूपये लिये गये थे और मेरे द्वारा यह भी कहा गया था कि आप उक्त डीपी अपने स्तर पर लगवा लो। परन्तु द्रोण जी द्वारा मेरे से उक्त काम करने के लिए कहा गया था, जिस पर मैंने जेईएन साहब श्री बलदेव चैधरी से वार्ता कर ही द्रोण पारीक जी से मैंने 60 हजार रूपये लिये थे। उक्त रूपयो में से 50 हजार रूपये जेईएन साहब के थे और 10 हजार रूपये डिमाण्ड नोटिस की राशि थी। इस पर परिवादी श्री द्रोण पारीक ने आरोपी श्री सुरेश बैरवा के कथनो का खण्डन करते हुए बताया कि इन्होने 17.06.2025 को राजपाल जी शर्मा के प्लॉट पर बिजली कनेक्शन कराने की एवज में 70 हजार रूपये रिश्वती राशि मांगकर 60 हजार रूपये में बिजली कनेक्शन देने और 60 हजार रूपये देने के बाद ही कनेक्शन कार्य प्रारम्भ करने के लिए सहमति दी थी और मुझे बार-बार फोन कर रिश्वती राशि देने व बिजली कनेक्शन का कार्य शीघ्र प्रारम्भ करने के लिए दबाव बनाकर आज दिनांक 30.06.2025 को प्लॉट खरीदने सम्बंधित वार्ता कर मेरे से रिश्वती राशि गिनकर ली थी। तत्पश्चात् आरोपी श्री सुरेश बैरवा को विभागीय डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में मांग सत्यापन एवं लेन-देन के दौरान परिवादी से हुई वार्ताओं के बारे में बताने पर आरोपी श्री सुरेश बैरवा द्वारा कोई जवाब नही दिया गया। उपरोक्तानुसार तथ्यों व रिकार्डेड वार्ताओ से आरोपी श्री सुरेश बैरवा का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है। तत्पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपी जेईएन श्री बलदेव चैधरी से आरोपी श्री सुरेश बैरवा के मार्फत प्राप्त की जाने वाली रिश्वती राशि के बारे में पूनः पूछा तो आरोपी श्री बलदेव चैधरी ने पुनः पूर्व में बताये गये कथनो की ताईद की गई। तत्पश्चात् आरोपी श्री बलदेव चैधरी को विभागीय डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में रिश्वत राशि लेन-देन के पश्चात् आरोपी श्री सुरेश बैरवा से हुई वार्ताओं के बारे में बताने पर आरोपी श्री बलदेव चैधरी द्वारा कोई जवाब नही दिया गया। उपरोक्तानुसार तथ्यों व रिकार्डेड वार्ताओ से आरोपी श्री बलदेव चैधरी का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है। अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री सुरेश बैरवा तकनीकी सहायक, कार्यालय कनिष्ठ अभियंता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमि0 बड के बालाजी, बगरू जयपुर व श्री बलदेव चैधरी हाल कनिष्ठ अभियंता द्वारा आपस में मिलीभगत कर षड़यन्त्र पूर्वक परिवादी से उसके वैध कार्य के लिए वैध पारिश्रमिक से भिन्न अवैध पारितोषण प्राप्त करने के आशय से परिवादी के धर्म भाई राजपाल शर्मा के प्लॉट नं0-01, अनु बिहार विस्तार, बैरवों की ढाणी, कलवाडा, महिन्द्रा सेज जयपुर में बिजली कनेक्शन व प्लॉट के पास में पृथक से ट्रांसफार्मर (डी0पी0) रखवाने की एवज में आरोपी सुरेश बैरवा द्वारा 70,000/रूपये रिश्वत राशि की मांग करना व रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान आरोपी द्वारा 60,000/- रूपये रिश्वत के रूप में लेना तय होने पर आज दिनांक 30.06.2025 को आरोपी श्री सुरेश बैरवा द्वारा परिवादी श्री द्रोण पारीक से रिश्वत के रूप में 60,000/- रूपये प्राप्त करने के पश्चात आरोपी श्री बलदेव चैधरी से हुई टेलिफोन वार्ता कर 10,000 रूपये स्वयं के लिए तथा 50,000 रूपये आरोपी श्री बलदेव चैधरी के लिए कुल 60,000/- रिश्वत राशि प्राप्त करने के तथ्य प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये गये है। आरोपीगण श्री सुरेश बैरवा व बलदेव चैधरी के द्वारा किया गया उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61 (2) बीएनएस-2023 के तहत प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया। आरोपी श्री सुरेश बैरवा, तकनीकी सहायक, कार्यालय कनिष्ठ अभियंता, जयपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड, बड के बालाजी बगरू जयपुर को नियमानुसार नमूना आवाज का नोटिस दिया गया, नोटिस पर आरोपी श्री सुरेश बैरवा ने अपनी आवाज का नमूना देने से लिखित में

इन्कार किया। समय करीब 11.30 पीएम पर आरोपी श्री सुरेश बैरवा के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61(2) भारतीय न्याय संहिता 2023 में प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने पर जरिये फर्द पृथ्क से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। आरोपी श्री बलदेव चैधरी, कनिष्ठ अभियन्ता अतिरिक्त चार्ज कार्यालय सहायक अभियंता विधुत वितरण निगम लिमिटेड, बड़ के बालाजी बगरू जयपुर को नियमानुसार नमूना आवाज का नोटिस दिया गया, नोटिस पर आरोपी श्री बलदेव चैधरी ने अपनी आवाज का नमूना देने से लिखित में इन्कार किया। समय करीब 11.45 पीएम पर आरोपी श्री बलदेव चैधरी के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61(2) भारतीय न्याय संहिता 2023 में प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने पर जरिये फर्द पृथ्क से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। ट्रेप कार्यवाही के दौरान आरोपी श्री सुरेश बैरवा से टीएलओ द्वारा की गई पूछताछ, आरोपी श्री सुरेश बैरवा के हाथो के धोवन कार्यवाही, आरोपी श्री सुरेश बैरवा द्वारा परिवादी से रिश्वत लेन-देन के पश्चात् जेईएन श्री बलदेव चौधरी को किये गये कॉल्स, आरोपी श्री बलदेव चैधरी की स्विफ्ट वीएक्सआई आरजे 45 सीजे 2189 की तलाशी व आरोपी श्री बलदेव चैधरी से की गई पूछताछ की विडियोग्राफी विभागीय डिजीटल कैमरे से आवश्यकतानुसार श्री कपिल कुमार कानि0 द्वारा रिकार्ड करवाई गई जो कैमरे में लगे मैमोरी कार्ड रिकार्ड होकर सेव है जिसकी नियमानुसार डीवीडीयां तैयार की गई। विभागीय वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड मांग सत्यापन वार्ताओं व रिश्वत लेन-देन के दौरान हुई वार्ताओं की नियमानुसार फर्द वार्तारूपान्तरण व सीडीयां/डीवीडीयां तैयार की गई। आरोपी श्री बलदेव चैधरी, कनिष्ठ अभियन्ता की कार नं. आरजे 45 सीजे 2189 के डेस्क बोर्ड में मिली संदिग्ध राशि 50,000/- रूपयों के संबंध में पृथक से नियमानुसार अनुसंधान किया जायेगा। अब तक की सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही, रिश्वत मांग सत्यापन व रिश्वत लेन-देन वार्ता, पूछताछ आरोपीगण तथा अन्य परिस्थितजन्य साक्ष्यों से पाया गया कि आरोपी श्री सुरेश बैरवा तकनीकी सहायक, कार्यालय कनिष्ठ अभियंता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमि0 बड के बालाजी, बगरू जयपुर व श्री बलदेव चैधरी हाल कनिष्ठ अभियंता द्वारा आपस में मिलीभगत कर षड़यन्त्र पूर्वक परिवादी से उसके वैध कार्य के लिए वैध पारिश्रमिक से भिन्न अवैध पारितोषण प्राप्त करने के आशय से परिवादी के धर्म भाई राजपाल शर्मा के प्लॉट नं0-01, अनु विहार विस्तार, बैरवों की ढाणी, कलवाडा, महिन्द्रा सेज जयपुर में बिजली कनेक्शन व प्लॉट के पास में पृथ्क से ट्रांसफार्मर (डी0पी0) रखवाने की एवज में आरोपी सुरेश बैरवा द्वारा 70,000/रूपये रिश्वत राशि की मांग करना व रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान आरोपी द्वारा 60,000/- रूपये रिश्वत के रूप में लेना तय होने पर आज दिनांक 30.06.2025 को आरोपी श्री सुरेश बैरवा द्वारा परिवादी श्री द्रोण पारीक से रिश्वत के रूप में 60,000/- रूपये प्राप्त करने के पश्चात आरोपी श्री बलदेव चैधरी से हुई टेलिफोन वार्ता कर 10,000 रूपये स्वयं के लिए तथा 50,000 रूपये आरोपी श्री बलदेव चैधरी के लिए कुल 60,000/- रिश्वत राशि प्राप्त करने के तथ्य प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये गये है। आरोपीगण श्री सुरेश बैरवा व बलदेव चैधरी के द्वारा किया गया उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61 (2) बीएनएस-2023 के तहत प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया। अतः आरोपीगण (1) सुरेश बैरवा पुत्र श्री रामस्वरूप बैरवा, जाति-बैरवा, उम्र-34 साल, निवासी-प्लाट नं0 22, सरिता विहार रामपुरा रोड सांगानेर जयपुर, हाल तकनीकी सहायक, कार्यालय कनिष्ठ अभियंता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमि0 बड के बालाजी, बगरू जयपुर एवं (2) श्री बलदेव चैधरी पुत्र श्री सुरजमल चैधरी, उम्र 31 साल, निवासी ग्राम-बसेडी, पोस्ट-शिवसिंहपुरा, पुलिस थाना-बगरू, तहसील-कालवाड, जयपुर हाल कनिष्ठ अभियंता, कार्यालय कनिष्ठ अभियंता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमि0 बेगस जयपुर एवं अतिरिक्त कार्यभार कार्यालय कनिष्ठ अभियंता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमि0 बड के बालाजी जयपुर के विरूद्ध अन्तगत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 61(2) बीएनएस-2023 में प्रकरण पंजीबद्ध किये जाने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट ड्राफ्ट वास्ते क्रमांकन अग्रीम कार्यवाही हेतु प्रेषित है। (गंभीर सिंह कसाना) पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर नगर-तृतीय, जयपुर...........कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री गंभीर सिंह कसाना, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-तृतीय, जयपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तंगत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 61(2) बीएनएस-2023 में आरोपीगण (1) सुरेश बैरवा पुत्र श्री रामस्वरूप बैरवा, जाति-बैरवा, उम्र-34 साल, निवासी-प्लाट नं0 22, सरिता विहार रामपुरा रोड सांगानेर जयपुर, हाल तकनीकी सहायक, कार्यालय कनिष्ठ अभियंता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमि0 बड के बालाजी, बगरू जयपुर एवं (2) श्री बलदेव चौधरी पुत्र श्री सुरजमल चौधरी, उम्र 31 साल, निवासी ग्राम-बसेडी, पोस्ट-शिवसिंहपुरा, पुलिस थाना-बगरू, तहसील-कालवाड, जयपुर हाल कनिष्ठ अभियंता, कार्यालय कनिष्ठ अभियंता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमि0 बेगस जयपुर एवं अतिरिक्त कार्यभार कार्यालय कनिष्ठ अभियंता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमि0 बड के बालाजी जयपुर के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री ओमप्रकाश किलानिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर नगर द्वितीय जयपुर को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 26 पर अंकित है।(डॉ. प्यारे लाल शिवरान) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 966-70 दिनांक 02-07-2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित

है:-1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर क्रम संख्या-1, जयपुर। 2-उप महानिरीक्षक पुलिस-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। 3- सचिव प्रशासन, जयपुर डिस्काम, जयपुर। 4- मुख्य कार्मिक अधिकारी, जयपुर डिस्काम, जयपुर, 5-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-तृतीय, जयपुर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** OMPRAKASH KELANIA **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pyare Lal Shivran
Location: Rajasthan,IN
Date: 02/07/2025 17:

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): DR PYARE LAL SHIVRAN
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1991				
2	Male	1994				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)